रजिस्ट्री सं० डी० एल०—(एन)04/0007/2003—05 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 21, 2005/ज्येष्ठ 31, 1927
No. 25] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 21, 2005/JYAISTHA 31, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 21st *June*, 2005/*Jyaistha* 31, 1927 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 15th June, 2005, and is hereby published for general information:—

THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005
No. 22 of 2005

[15*th June*, 2005.]

An Act to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority, the constitution of a Central Information Commission and State Information Commissions and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS the Constitution of India has established democratic Republic;

AND WHEREAS democracy requires an informed citizenry and transparency of information which are vital to its functioning and also to contain corruption and to hold Governments and their instrumentalities accountable to the governed;

AND WHEREAS revelation of information in actual practice is likely to conflict with other public interests including efficient operations of the Governments, optimum use of limited fiscal resources and the preservation of confidentiality of sensitive information;

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लाक–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
(फोन – 0771–2636413 फैक्स – 0771–2263412)

email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in

क्रमांक/260/553/आउशि/सू.प्र./2018 अटल नगर,दिनांक 11/6/20

प्रति,

अतिरिक्त संचालक,
समस्त संभाग,

कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,

प्राचार्य,
शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय (छ.ग.)

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम –2005 के धारा –4 (1) (ख) प्रावधानों का समुचित क्रियान्वयन ।

संदर्भ :– 1. 959/4513/स./2018/38–1 दिनांक 22/02/2020।
2. सा.प्रा. विभाग (सू.का अधिकार प्रकोष्ठ) के पत्र क्रमांक 3409/जी–1255/1–13 दिनांक 6.10.2018

----00----

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ज्ञापन संलग्न प्रेषित है। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा–4 (1) (ख) के तहत दिये गये 17 बिन्दुओं की सूचना का प्रकटीकरण कर पालन प्रतिवेदन 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध करावें ।

संलग्न –उपरोक्तानुसार
(अपर संचालक द्वारा अनुमोदित)

सूचना ने ... महाविद्यालय ... 1/7/2020

Pankaj
(डॉ. पंकज कुमार मेहता)
जनसूचना अधिकारी/उप संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

आवक लिपिक
शासकीय ... महाविद्यालय
... जिला– ...

अध्याय 2

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

3. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। सूचना का अधिकार।

4. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी- लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं।

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुगम बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुगम बनाया जा सके;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर - (धारा 4.(1)ख के 17 बिंदु)↓

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य;

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान;

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण;

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है;

(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण;

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो;

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट;

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है;

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां ;

(xiv) किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो;

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए,

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा,

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा;

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्ररूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो।

(4) सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी के पास इलैक्ट्रानिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुंच योग्य होनी चाहिए।

PHONE & FAX NO:- 07857-255625 &255624(O)

कार्यालय प्राचार्य — शासकीय अरविन्द महाविद्यालय

किरन्दुल , जिला — दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छ.ग.) 494556

E-mail : govtcollegekirandul[illegible]@gmail.com

क्र. /1080/स्था. / 2021.   किरन्दुल,दिनांक :–01 / 01 / 2021

प्रति,

प्राचार्य,

शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

दन्तेवाड़ा

जिला—दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

विषय :— सूचना के अधिकार नियम 2005 से संबंधित त्रैमासिक जानकारी का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस संस्था से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई जानकारी माह अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 तक निर्धारित प्रपत्र क्रमांक 01 से 09 में भरकर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :— त्रैमासिक जानकारी

o/c

Principal
Govt. Arvind College
Kirandul Distt. Dantewada
(Chhattisgarh)